राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 326/2022

छोटे लाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. अतिरिक्त सचिव–सह–मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड़, जयपुर (राज.)।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.02.2022

आदेश की दिनांक : 10.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीणा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : ओआईसी उपस्थित

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.07.2020 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर उक्त पद पर 2 पदों को बिना कैरी फारवर्ड किये अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की जावे और रोस्टर रजिस्टर को दिनांक 01.04.1996 से दुरस्त करते हुये सुधार कर अपीलार्थी को रिव्यू डीपीसी आयोजित

कर अधीशाषी अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता (डिग्री होल्डर) के पद पर दिनांक 12.07.1995 को हुई थी और तदुपरांत उसे सहायक अभियंता के पद पर चयनित किया गया तथा रिक्ति वर्ष 2003–04 के विरूद्ध अधीशाषी अभियंता के पद पर आदेश दिनांक 25.02.2004 के द्वारा पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 01.08.2016 को अपीलार्थी राजकीय सेवा से अधीशाषी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हो गया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 17.03.2020 को रिव्यू डीपीसी आयोजित की और रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध उसे अधीक्षण अभियंता के पद पर आदेश दिनांक 18.06.2020 के द्वारा पदोन्नत किया गया, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर भी विचार किया गया और उससे नीचे श्री कमला शंकर को और श्री निसार अहमद को पदोन्नत किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद की रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई। रिक्त पदों के अनुसार तीन गुना वरिष्ठता सह पात्रता के अनुसार 30 लोगों की सूची तैयार की जानी चाहिये, परंतु जब वरिष्ठता सह योग्यता की सूची तैयार की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम एवं श्री रमेश चन्द शर्मा का नाम जोडा गया तथा रिवाईज्ड वर्ष 2016–17 की सूची में कमला शंकर एवं निसार अहमद का भी नाम जोडा गया तथा विजय सिंह चारण का भी नाम जोडा गया, जिसकी पदोन्नति अधीक्षण अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध हुई थी, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। उनका कथन है कि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 जिसमें आरक्षण 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिये सीमित किया गया है और उक्त कोटा पहले से ही भरा हुआ है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 जारी किया गया है, जिसमें पद भरने हेतु निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> *"In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates for promotion amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, in particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forwarded until the suitable scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate (s), as the case may be, are available. In any circumstances no vacancy reserved for SC and ST*

candidates shall be filled by promotion from General category candidates."

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.11.1997 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.के.सभरवाल बनाम पंजाब राज्य में पारित निर्णय की पालना में परिपत्र आरक्षण के संबंध में जारी किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र दिनांक 24.02.2020, 29.05.2020 एवं 27.07.2020 जारी किये गये, जो रोस्टर आधारित पृथक से पद तैयार किये जाने के संबंध में एवं सीधी भर्ती से पदोन्नति हेतु जारी किये गये। अपीलार्थी ने रोस्टर रजिस्टर से संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद की दिनांक 01.04.1996 से 30.06.2020 तक की सूचना, इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता एवं अधीशाषी अभियंता की सूचना आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त की है, जिसमें वर्ष 2014–15 से वर्ष 2019–20 तक का रोस्टर रजिस्टर की प्रति उपलब्ध कराई लेकिन वर्ष 2014–15 से पूर्व के रोस्टर रजिस्टर की प्रति देने से इनकार कर दिया गया कि कार्यालय में दिनांक 01.04.1996 से वर्ष 2013–14 का रोस्टर रजिस्टर अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधीशाषी अभियंता के पद के लिये संधारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने दिनांक 05.09.2020 को सामान्य वर्ग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के 2 पद आरक्षित वर्ग से रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध भरे जाने के लिये अनुरोध किया। अपीलार्थी ने न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 16.09.2020 को अनारक्षित वर्ग के 2 पदों के विरूद्ध रिक्ति वर्ष 2016–17 के लिये अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु अपना नाम जुडवाने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को भेजा, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 28 पर और श्री कमला शंकर (एसटी) तथा श्री निसार अहमद का नाम भी अंकित किया गया। परंतु आरक्षित वर्ग का कोटा पूरा भरा होने के कारण अपीलार्थी को योग्य नहीं माना। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के कुल 10 रिक्त पद हैं और कुल 30 कार्मिक जो विचारित सीमा (zone of consideration) में जिसमें अपीलार्थी भी है, जो पदोन्नति योग्य है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने गलत तरीके से इनकार किया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 17.11.2021 को रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें 10 पद अनारक्षित वर्ग के लिये आरक्षित किये गये तथा 8 पद अनारक्षित वर्ग से भरे गये और 2 पदों को रिक्त रखा गया (जैसा कि एक पद दिनांक 28.07.2020 को आयोजित डीपीसी के लिये कैरी फारवर्ड किया गया और एक पद विचारित सीमा से बाहर रमेश चन्द शर्मा के लिये)। जबकि उक्त दोनों रिक्त पदों को कैरी फारवर्ड

किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। नियमानुसार अनारक्षित वर्ग से पद नहीं भरे जाने पर आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग के पद भरे जाने का प्रावधान है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उन पदों को अनारक्षित पद से न भरकर कैरी फारवर्ड किया है। जबकि अपीलार्थी उक्त पद अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। चूंकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समय–समय पर रोस्टर रजिस्टर का संधारण नहीं होने से अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया है, जो नियमानुसार उचित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2325/2013 सोहनलाल वर्मा बनाम राजस्व विभाग अजमेर व अन्य एवं एस. बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5617/2013 महावीर चन्द्र जैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.01.2014 में इस प्रकार पदोन्नत से वंचित रखा जाना विधि विरूद्ध माना है। अतः अपीलार्थी भी उक्त न्यायिक विनिश्चय के आधार पर पदोन्नति पाने का हकदार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.07.2020 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर उक्त पद पर 2 पदों को बिना कैरी फारवर्ड किये अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की जावे और रोस्टर रजिस्टर को दिनांक 01.04.1996 से दुरस्त करते हुये सुधार कर अपीलार्थी को रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अधीशाषी अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया और अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद की वर्ष 2016–17 की रिव्यू डीपीसी की पात्रता सह वरिष्ठता सूची में नाम अंकित किये जाने से रह गया और रमेश चंद शर्मा का नाम विचारण सीमा में होने के कारण इनको अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। दिनांक 17.11.2021 को पुनः रिव्यू डीपीसी कर श्री रमेश चंद शर्मा का नाम विचारण सीमा से बाहर होने के फलस्वरूप पूर्व में चयनित श्री शर्मा का नाम विलोपित किया जा चुका है। सामान्य

वर्ग के अभ्यर्थी पात्रता सूची में उपलब्ध नहीं होने के कारण 2 रिक्त पद रखे गये हैं। दिनांक 11.09.2011 की अधिसूचना अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ तभी तक देय हैं, जब तक की उनके लिये आरक्षित पदों पर प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं हो जाता। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर वर्ष 2016–17 की रिक्तियों में आरक्षित वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थी का चयन नहीं किया जा सका। अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद का विभाग में वर्ष 2016–17 का रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध है और समस्त पदों की डीपीसी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में उपलब्ध प्रावधानानुसार ही की जाती है और पदोन्नतियों में आरक्षित वर्ग के अभियंताओं को भी नियमों में उपलब्ध प्रावधानानुसार ही पदोन्नतियां दी जाती हैं। अपीलार्थी दिनांक 01.04.2016 को कार्यरत था और अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद की वर्ष 2016–17 की पात्रता सह वरिष्ठता सूची में नियमानुसार सम्मिलित किया जाकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद की वर्ष 2016–17 की डीपीसी की गई और वर्ष 2016–17 की पूर्व में की गई डीपीसी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पात्रता सूची में उपलब्ध नहीं होने के कारण 2 रिक्त पद रखे गये और इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकी। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध आरक्षित वर्ग से अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद के लिये अनारक्षित वर्ग से कोई पात्र कार्मिक नहीं मिलने के कारण शेष रिक्त 2 पदों को रिक्त रखा गया। जबकि अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 में स्पष्ट प्रावधान है कि पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित वर्ग से पदोन्नत किये जायेंगे। इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के बाद न तो कोई नया नियम पदोन्नति के संबंध में जारी किया गया और न ही कोई नियम कार्मिक विभाग द्वारा लागू किया गया और इस प्रकार उक्त प्रावधानानुसार अपीलार्थी विचारित सीमा में होने के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रोस्टर रजिस्टर को संधारित समय–समय पर नहीं किया गया, जो उचित नहीं है, जिसके कारण अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित होना पडा। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का अतिरिक्त कथन प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि दिनांक 28.07.2020 को आयोजित की गई अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद की वर्ष 2016–17 की रिव्यू डीपीसी की पात्रता सह वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम अंकित किये जाने से रह गया और रमेश चंद शर्मा का नाम सूची में विचारण सीमा में होने के कारण इनको अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नत किया गया और इस प्रकार उक्त डीपीसी को दिनांक 17.11.2021 को पुनः रिव्यू कर रमेश चंद शर्मा का नाम विचारण सीमा से बाहर होने के फलस्वरूप पूर्व में चयनित श्री रमेश चंद शर्मा का नाम विलोपित किया जा चुका है और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पात्रता सूची में उपलब्ध नहीं होने के कारण 2 रिक्तियां रखी गईं। विभाग में समस्त पदों की डीपीसी कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008, अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 एवं 23.07.2003 में उपलब्ध नियमों/दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में की जाती है और एससी/एसटी को उनके लिये आरक्षित पदों पर प्रतिनिधित्व पूर्ण होने के पश्चात् पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति देने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी जा सकी। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता (डिग्री होल्डर) के पद पर दिनांक 12.07.1995 को हुई थी और तदुपरांत उसे सहायक अभियंता के पद पर चयनित किया गया तथा रिक्ति वर्ष 2003–04 के विरूद्ध अधीशाषी अभियंता के पद पर आदेश दिनांक 25.02.2004 के द्वारा पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 01.08.2016 को अपीलार्थी राजकीय सेवा से अधीशाषी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हो गया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 17.03.2020 को रिव्यू डीपीसी आयोजित की और रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध उसे अधीक्षण अभियंता के पद पर आदेश दिनांक 18.06.2020 के द्वारा पदोन्नत किया गया, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर भी विचार किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये सामान्य वर्ग के 10 पदों के लिये अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद की रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई।

जिसमें सामान्य वर्ग के 8 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और 2 अभ्यर्थी पात्र नहीं मिलने पर 2 पदों को रिक्त रखा गया। जबकि अपीलार्थी विचारण सीमा में एवं वरिष्ठता सह पात्रता सूची में नाम होने पर भी उसे उक्त पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। चूंकि अपीलार्थी आरक्षित वर्ग से आरक्षित वर्ग का कार्मिक है। जहां तक अपीलार्थी (आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी) को रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर सामान्य वर्ग के पद के विरूद्ध पदोन्नति नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी आरक्षित वर्ग का कार्मिक है और अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद सामान्य वर्ग के पद हैं, जिसमें 8 कार्मिक उक्त पद पर पदोन्नति हेतु पात्र पाये गये। शेष 2 पदों के विरूद्ध योग्य अभ्यर्थी नहीं पाये जाने पर उक्त 2 पदों को रिक्त रखा गया। राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 11.09.2011 की अधिसूचना अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ तभी तक देय हैं, जब तक की उनके लिये आरक्षित पदों पर प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं हो जाता। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर वर्ष 2016–17 की रिक्तियों में आरक्षित वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थी का चयन नहीं किया जा सका। अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद का विभाग में वर्ष 2016–17 का रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध है और समस्त पदों की डीपीसी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में उपलब्ध प्रावधानानुसार ही की जाकर पदोन्नतियों में आरक्षित वर्ग के अभियंताओं को भी नियमों में उपलब्ध प्रावधानानुसार ही पदोन्नतियां की गई हैं। इस प्रकार हम राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार की गई डीपीसी में हम किसी प्रकार के नियमों की विधि विरूद्धता नहीं पाते हैं और इस प्रकार हमें अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष